[2018] 3 उम. नि. प. 132

एच. वी. निर्मला और एक अन्य

बनाम

आर. शर्मिला और एक अन्य

25 जनवरी, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) – धारा 63 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68] – वसीयत का निष्पादन – पश्चात्वर्ती वसीयत के आधार पर संपत्तियों के विभाजन के लिए समझौता डिक्री प्राप्त करने के बाद पूर्ववर्ती वसीयत के आधार पर वादगत संपत्ति का दावा – यदि पूर्ववर्ती वसीयत को साक्ष्य पेश करके और उस वसीयत को अधिप्रमाणित करने वाले एक साक्षी की परीक्षा करके विधि की दृष्टि से साबित कर दिया जाता है और पश्चात्वर्ती वसीयत में पूर्ववर्ती वसीयत को प्रतिसंहृत करने का कोई उल्लेख नहीं होता है तो पूर्ववर्ती वसीयत अभिभावी होगी ।

प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी, उस सिविल वाद में, जिससे यह अपील उद्भूत हुई है, प्रतिवादी सं. 2 और 3 हैं जबकि प्रत्यर्थी सं. 1 वादी है और प्रत्यर्थी सं. 2 प्रतिवादी सं. 1 है । मृतक वसीयतकर्ता की दो पत्नियां थीं । पहली पत्नी से विवाह के पश्चात् एक पुत्री वादी और एक पुत्र प्रतिवादी सं. 1 उत्पन्न हुए थे जबकि दूसरी पत्नी से विवाह के पश्चात् एक पुत्र प्रतिवादी सं. 3 उत्पन्न हुआ । पहली पत्नी की मृत्यु 24 फरवरी, 1989 को हो गई और वसीयतकर्ता की मृत्यु 26 नवम्बर, 1995 को हो गई । प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 और 3 के विरुद्ध तारीख 11 अक्तूबर, 1995 को मृत रमैया रेड्डी के स्वामित्वाधीन संपत्तियों के विभाजन के लिए एक सिविल वाद फाइल किया जो कि 1996 का मूल वाद सं. 7266 था । यह वाद तारीख 20 मई, 1995 की वसीयत के आधार पर था, जिसके बारे में यह कहा गया है कि वह रमैया द्वारा वाद में के तीन पक्षकारों के पक्ष में निष्पादित की गई थी । पक्षकारों ने वाद में समझौता कर लिया समझौता डिक्री पारित की गई थी । तारीख 4 नवम्बर, 2000 को वादी ने प्रतिवादी सं. 1, 2 और 3 के विरुद्ध इस घोषणा के लिए एक सिविल वाद फाइल किया कि 1996 के मूल वाद सं. 7266 में पारित तारीख 25 जनवरी,

1997 की समझौता डिक्री उस पर आबद्धकर नहीं है; यह कि वह रमैया द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत के आधार पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्तियों की विधिपूर्ण स्वामिनी है, जो कि 2000 का मूल वाद सं. 7592 था । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए वाद खारिज कर दिया कि चूंकि वादी तारीख 12 मार्च, 1980 की मूल वसीयत को साबित करने में असफल रही है इसलिए वाद अवश्य ही असफल होना चाहिए । दूसरे शब्दों में, विचारण न्यायालय का यह मत था कि वादी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश करने के अभाव में यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत विधि के अनुसार साबित हो गई है । वादी ने अपने वाद के खारिज होने से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए आक्षेपित निर्णय/डिक्री द्वारा अपील मंजूर कर ली, विचारण न्यायालय के निर्णय/डिक्री को अपास्त कर दिया और वादी के वाद को डिक्री कर दिया कि वादी साक्ष्य पेश करके तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत को विधि के अनुसार साबित करने में समर्थ रही थी और इसलिए वह वादगत संपत्तियों से संबंधित वाद में उसके द्वारा दावाकृत घोषणा के लिए हकदार थी । प्रतिवादी सं. 2 और 3 ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत लेकर अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस अपील का परिणाम एक प्रश्न पर निर्भर करता है, अर्थात्, क्या वादी (इस मामले में प्रत्यर्थी सं. 1) तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत को विधि के अनुसार साबित करने में समर्थ रही थी । वादी तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत को विधि के अनुसार साबित करने में समर्थ रही थी और इसलिए अन्यथा अभिनिर्धारित करने का कोई कारण नहीं है । ऐसा निम्नलिखित कारणवश है – प्रथमतः, तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत एक रजिस्ट्रीकृत वसीयत है । दूसरे, यह किसी और ने नहीं बल्कि पिता रमैया द्वारा प्रथम पत्नी से उत्पन्न अपनी अवयस्क पुत्री और अवयस्क पुत्र के पक्ष में निष्पादित की गई थी । तीसरे, जब पिता रमैया ने अपनी संपत्ति अपने अवयस्क बच्चों को वसीयत कर दी थी तब इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता । यह प्यार और स्नेह के आधार पर की गई एक नैसर्गिक वसीयत है । चौथे, तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत को अपने पक्ष में निष्पादित कराने में अवयस्क पुत्री और

पुत्र द्वारा कोई सक्रिय भूमिका निभाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । यह मात्र इस कारण है कि वे इतने छोटे थे कि वादगत संपत्ति को हथियाने के लिए किसी किस्म का अवैध कार्य में आलिप्त नहीं हो सकते थे । दूसरे शब्दों में, अवयस्क बच्चों से यह प्रत्याशा करना कठिन है कि वे अपने पिता की संपत्ति हथियाने में कोई सक्रिय भूमिका निभाएंगे और कूटरचित वसीयत तैयार करेंगे । पांचवें, यह बात साक्ष्य में आई है कि तारीख 12 मार्च, 1980 की मूल वसीयत वादी के कब्जे में नहीं थी बल्कि वह प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे में थी । इसी कारण, वादी ने रजिस्ट्रार के कार्यालय से अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसकी प्रमाणित प्रति फाइल की । छठे, उच्च न्यायालय द्वारा इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया गया था और ऐसा ठीक ही किया गया है । सातवें, चूंकि मूल वसीयत वादी के कब्जे में नहीं थी, इसलिए इसकी विद्यमानता और वैधता को वादी द्वारा गौण साक्ष्य पेश करके साबित किया जा सकता था । आठवें, वादी ने अपने साक्ष्य पेश करके और वसीयत को अधिप्रमाणित करने वाले एक साक्षी की परीक्षा करके साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 की अपेक्षानुसार तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत को साबित किया है । वसीयत को साबित करने के लिए ऐसा साक्ष्य पर्याप्त था । नौवें, इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादियों द्वारा प्रकट की गई तारीख 20 मई, 1995 की पश्चात्वर्ती वसीयत में वसीयतकर्ता द्वारा तारीख 12 मार्च, 1980 को प्रथम वसीयत निष्पादित करने के तथ्य के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था । तारीख 20 मई, 1995 की वसीयत में तारीख 12 मार्च, 1980 की पूर्ववर्ती वसीयत का उल्लेख अवश्य पाया जाना चाहिए था क्योंकि तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत एक रजिस्ट्रीकृत वसीयत थी और अंतिम वसीयत को पूर्ववर्ती वसीयत पर अभिभावी बनाने के लिए तारीख 12 मार्च, 1980 की पूर्ववर्ती वसीयत के प्रतिसंहरण के बारे में पश्चात्वर्ती वसीयत में उल्लेख करना आवश्यक था । किन्तु ऐसा नहीं था । दसवें, चूंकि 1996 के मूल वाद सं. 7266 में पारित समझौता डिक्री में वादी एक पक्षकार नहीं थी, इसलिए यह उस पर आबद्धकर नहीं थी । अंतिमतः, जब एक बार तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत के बारे में यह अभिनिर्धारित कर दिया जाता है कि वह विधि के अनुसार साबित हो गई है तब वादी अपने पक्ष में इस घोषणा का दावा करने की हकदार हो जाती है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत में यथा-विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत की गई संपत्तियों की स्वामिनी है । पूर्वगामी विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करना सही था कि वादी तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत

को साबित करने में समर्थ रही थी और यह कि तारीख 20 मई, 1995 की वसीयत तथा 1996 के मूल वाद सं. 7266 में पारित तारीख 25 जनवरी, 1997 की डिक्री वादी पर आबद्ध नहीं है । (पैरा 14, 17 और 18)

सिविल अपीली अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 881.

2008 की आर. एफ. ए. सं. 1128 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की बंगलौर न्यायपीठ के तारीख 20 सितम्बर, 2011 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से — सर्वश्री आर. एस. हेग्ढे, गिरीश अनंतमूर्ति, श्रीमती फरहत जहां रहमानी और श्रीमती वैजयन्ती गिरीश

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री एच. एन. नागमोहन दास, ज्येष्ठ अधिवक्ता, शेखर जी. देवास, मनीष तिवारी, नवीन नागार्जुन, मैसर्स देवास एंड कंपनी और एस. श्रीनिवासन्

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

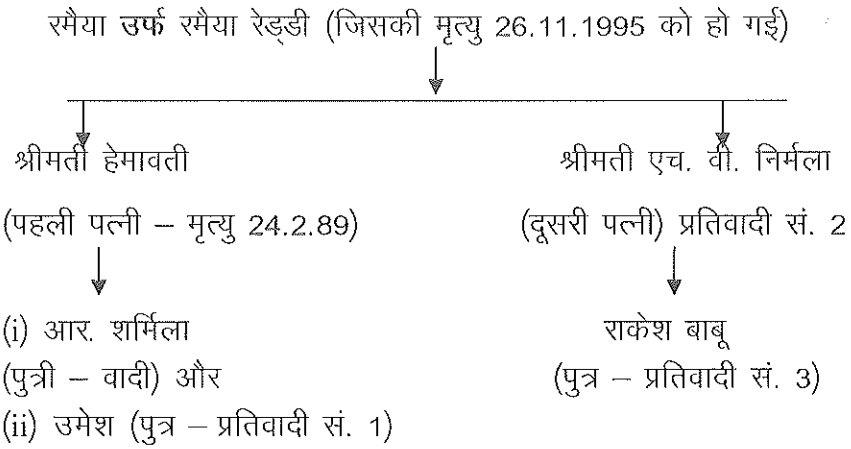
न्या. सप्रे – इजाजत दी जाती है ।

2. यह अपील 2008 की आर. एफ. ए. सं. 1128 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की बंगलौर न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 20 सितम्बर, 2011 के उस अंतिम निर्णय और आदेश से उद्भूत हुई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया था और वादी द्वारा फाइल किए गए वाद को डिक्री कर दिया था ।

3. इस अपील में अंतर्वलित मुद्दों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से सुसंगत तथ्यों को इसमें इसके नीचे उपवर्णित करना आवश्यक है ।

4. अपीलार्थी, उस सिविल वाद में, जिससे यह अपील उद्भूत हुई है, प्रतिवादी सं. 2 और 3 हैं जबकि प्रत्यर्थी सं. 1 वादी है और प्रत्यर्थी सं. 2 प्रतिवादी सं. 1 है ।

5. यह विवाद आवश्यक रूप से कौटुम्बिक सदस्यों के बीच है और इसका संबंध कतिपय स्थावर संपत्तियों से है जो मूल रूप से रमैया के रूप में ज्ञात कुटुम्ब के मुखिया की है । इन मुद्दों का अधिमूल्यन करने के लिए कौटुम्बिक वंशावली उपयोगी होगी ।



6. रमैया रेड्डी की दो पत्नियां थीं, पहली पत्नी श्रीमती हेमावती और दूसरी पत्नी श्रीमती निर्मला । पहली पत्नी – श्रीमती हेमावती से विवाह के पश्चात् एक पुत्री शर्मिला (वादी) और एक पुत्र उमेश (प्रतिवादी सं. 1) उत्पन्न हुए थे जबकि दूसरी पत्नी – श्रीमती निर्मला से विवाह के पश्चात् एक पुत्र राकेश बाबू (प्रतिवादी सं. 3) उत्पन्न हुआ । हेमावती – पहली पत्नी की मृत्यु 24 फरवरी, 1989 को हो गई और रमैया की मृत्यु 26 नवम्बर, 1995 को हो गई ।

7. उमेश (प्रतिवादी सं. 1) ने निर्मला और राकेश बाबू के विरुद्ध तारीख 11 अक्तूबर, 1995 को एक सिविल वाद फाइल किया जो कि 1996 का मूल वाद सं. 7266 था । यह वाद मृत रमैया रेड्डी के स्वामित्वाधीन संपत्तियों के विभाजन के लिए फाइल किया गया था । यह तारीख 20 मई, 1995 की वसीयत के आधार पर था, जिसके बारे में यह कहा गया है कि वह रमैया द्वारा वाद में के तीन पक्षकारों के पक्ष में निष्पादित की गई थी ।

8. पक्षकारों ने वाद में समझौता कर लिया और तद्नुसार गुणागुण के आधार पर कोई बहस किए बिना 25 जनवरी, 1997 को समझौता डिक्री पारित की गई थी ।

9. तारीख 4 नवम्बर, 2000 को पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्री शर्मिला ने निर्मला, उमेश और राकेश बाबू के विरुद्ध नगर सिविल न्यायाधीश, बंगलौर के न्यायालय में एक सिविल वाद फाइल किया, जो कि 2000 का मूल वाद सं. 7592 था, जिससे प्रस्तुत अपील उद्भूत हुई है । वह वाद इस घोषणा के लिए था कि 1996 के मूल वाद सं. 7266 में पारित तारीख 25 जनवरी, 1997 की समझौता डिक्री उस पर आबद्धकर नहीं है; यह कि वह

रमैया द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत के आधार पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्तियों की विधिपूर्ण स्वामिनी है ।

10. तीनों प्रतिवादियों ने लिखित कथन फाइल किए । उन्होंने वादी द्वारा स्थापित तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत से इनकार किया और 1996 के मूल वाद सं. 7266 में उनके द्वारा तारीख 25 जनवरी, 1997 को अभिप्राप्त समझौता डिक्री का समर्थन किया । विचारण न्यायालय ने विवाद्यक विरचित किए । पक्षकारों ने अपने-अपने साक्ष्य पेश किए । विचारण न्यायालय ने तारीख 28 अगस्त, 2008 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा वाद को खारिज कर दिया । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि वादी तारीख 12 मार्च, 1980 की मूल वसीयत को साबित करने में असफल रही है इसलिए वाद अवश्य ही असफल होना चाहिए । दूसरे शब्दों में, विचारण न्यायालय का यह मत था कि वादी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश करने के अभाव में यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत विधि के अनुसार साबित हो गई है ।

11. वादी ने अपने वाद के खारिज होने से व्यथित होकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील फाइल की, जिसमें से यह अपील उद्भूत हुई है ।

12. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय/डिक्री द्वारा अपील मंजूर कर ली, विचारण न्यायालय के निर्णय/डिक्री को अपास्त कर दिया और वादी के वाद को डिक्री कर दिया । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी साक्ष्य पेश करके तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत को विधि के अनुसार साबित करने में समर्थ रही थी और इसलिए वह वादगत संपत्तियों से संबंधित वाद में उसके द्वारा दावाकृत घोषणा के लिए हकदार थी । प्रतिवादी सं. 2 और 3 ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर इस न्यायालय में विशेष इजाजत लेकर यह अपील फाइल की है ।

13. हमें पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेल को सुनने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् इस अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है । हमारी राय में, उच्च न्यायालय का तर्काधार और निष्कर्ष सही प्रतीत होता है ।

14. इस अपील का परिणाम एक प्रश्न पर निर्भर करता है, अर्थात्, क्या वादी (इस मामले में प्रत्यर्थी सं. 1) तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत को विधि के अनुसार साबित करने में समर्थ रही थी ।

15. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय ने इस प्रश्न को वादी के विरुद्ध विनिश्चित किया जबकि प्रथम अपील न्यायालय ने इस प्रश्न का विनिश्चय वादी के पक्ष में किया ।

16. इस मामले की परीक्षा करने पर, हम उच्च न्यायालय के तर्काधार से सहमत होने के लिए तत्पर हैं और तद्नुसार इस प्रश्न का उत्तर प्रत्यर्थी सं. 1, अर्थात् वादी के पक्ष में और अपीलार्थियों (प्रतिवादी सं. 2 और 3) के विरुद्ध देते हैं । दूसरे शब्दों में, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि वादी तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत को विधि के अनुसार साबित करने में समर्थ रही थी और इसलिए अन्यथा अभिनिर्धारित करने का कोई कारण नहीं है । ऐसा हम निम्नलिखित कारणवश कहते हैं ।

17. प्रथमतः, तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत एक रजिस्ट्रीकृत वसीयत है । दूसरे, यह किसी और ने नहीं बल्कि पिता रमैया द्वारा प्रथम पत्नी से उत्पन्न अपनी अवयस्क पुत्री शर्मिला और अवयस्क पुत्र-उमेश के पक्ष में निष्पादित की गई थी । तीसरे, जब पिता रमैया ने अपनी संपत्ति अपने अवयस्क बच्चों को वसीयत कर दी थी तब हमें इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता । हमारी राय में, यह प्यार और स्नेह के आधार पर की गई एक नैसर्गिक वसीयत है । चौथे, तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत को अपने पक्ष में निष्पादित कराने में अवयस्क पुत्री और पुत्र द्वारा कोई सक्रिय भूमिका निभाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । यह मात्र इस कारण है कि वे इतने छोटे थे कि वादगत संपत्ति को हथियाने के लिए किसी किस्म का अवैध कार्य में आलिप्त नहीं हो सकते थे । दूसरे शब्दों में, अवयस्क बच्चों से यह प्रत्याशा करना कठिन है कि वे अपने पिता की संपत्ति हथियाने में कोई सक्रिय भूमिका निभाएंगे और कूटरचित वसीयत तैयार करेंगे । पांचवें, यह बात साक्ष्य में आई है कि तारीख 12 मार्च, 1980 की मूल वसीयत वादी के कब्जे में नहीं थी बल्कि वह प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे में थी । इसी कारण, वादी ने रजिस्ट्रार के कार्यालय से अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसकी प्रमाणित प्रति फाइल की । छठे, उच्च न्यायालय द्वारा इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया गया था और हमारी राय में ऐसा ठीक ही किया गया है । सातवें, चूंकि मूल वसीयत वादी के कब्जे में नहीं थी, इसलिए इसकी विद्यमानता और वैधता को वादी द्वारा गौण साक्ष्य पेश करके साबित किया जा सकता था । आठवें, वादी ने अपने साक्ष्य पेश करके और वसीयत को अधिप्रमाणित करने वाले एक साक्षी की परीक्षा करके साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 की

अपेक्षानुसार तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत को साबित किया है । हमारी राय में, वसीयत को साबित करने के लिए ऐसा साक्ष्य पर्याप्त था । नौवें, इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादियों द्वारा प्रकट की गई तारीख 20 मई, 1995 की पश्चात्वर्ती वसीयत में वसीयतकर्ता द्वारा तारीख 12 मार्च, 1980 को प्रथम वसीयत निष्पादित करने के तथ्य के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था । हमारी राय में, तारीख 20 मई, 1995 की वसीयत में तारीख 12 मार्च, 1980 की पूर्ववर्ती वसीयत का उल्लेख अवश्य पाया जाना चाहिए था क्योंकि तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत एक रजिस्ट्रीकृत वसीयत थी और अंतिम वसीयत को पूर्ववर्ती वसीयत पर अभिभावी बनाने के लिए तारीख 12 मार्च, 1980 की पूर्ववर्ती वसीयत के प्रतिसंहरण के बारे में पश्चात्वर्ती वसीयत में उल्लेख करना आवश्यक था । किन्तु ऐसा नहीं था । दसवें, चूंकि 1996 के मूल वाद सं. 7266 में पारित तारीख 25 जनवरी, 1997 की समझौता डिक्री में वादी एक पक्षकार नहीं थी, इसलिए यह उस पर आबद्धकर नहीं थी । अंतिमतः, जब एक बार तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत के बारे में यह अभिनिर्धारित कर दिया जाता है कि वह विधि के अनुसार साबित हो गई है तब वादी अपने पक्ष में इस घोषणा का दावा करने की हकदार हो जाती है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत में यथा-विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत की गई संपत्तियों की स्वामिनी है ।

18. पूर्वगामी विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करना सही था कि वादी तारीख 12 मार्च, 1980 की वसीयत को साबित करने में समर्थ रही थी और यह कि तारीख 20 मई, 1995 की वसीयत तथा 1996 के मूल वाद सं. 7266 में पारित तारीख 25 जनवरी, 1997 की डिक्री वादी पर आबद्ध नहीं हैं ।

19. इसके परिणामस्वरूप, हमें इस अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है, जो कि असफल होती है और तद्नुसार खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

ग्रो.